संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/ /औ.प्रको./2016-17/722 **भोपाल,दिनांक 22/10/2016**

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ।
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक ।
3. अधीक्षक, सिविल अस्पताल काटजू/बैरागढ/जे0एस0आर0/रानी दुर्गावती । मध्यप्रदेश ।

विषय :- म0प्र0 भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 में उल्लेखित आरक्षित वस्तुओं के उपार्जन के संबंध में ।

संदर्भ:-संचालनालय के पत्र क्रमांक/औ.प्रको./2016/341, दिनांक 25/07/2016 एवं क्रमांक/औ.प्रको./2016/502, दिनांक 12/08/2016

---000---

विषयांतर्गत म0प्र0 भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के बिन्दु 6 एवं 7 सहपठित परिशिष्ट "ब" के द्वारा आरक्षित वस्तुओं की सूची उपलब्ध कराई गई है आपकी सुविधा के लिए छायाप्रति पुनः प्रेषित है ।

यह जानकारी में आया है, कि बार-बार संदर्भित निर्देशों के बावजूद (छायाप्रति संलग्न) चादर एवं कम्बल के उपार्जन में उपार्जनकर्ता अधिकारियों द्वारा विलम्ब किया जा रहा है ।

एम0पी0 ई-औषधि पोर्टल पर अंकित वस्तुओं की सूची संलग्न है । यदि कतिपय सामान इस पोर्टल पर अंकित नहीं है तो उपरोक्त सामान को पूर्व से लागू व्यवस्था के अनुसार (ई-मेल के माध्यम) नियमानुसार परीक्षण उपरांत उपार्जन किया जाना है । जैसे ही यह सामान पोर्टल पर आ जायेगी आपको सूचित कर दिया जायेगा, तब आपको पोर्टल के माध्यम से आदेश देने होगें ।

यह भी लेख है, कि वर्तमान में एम0पी0 औषधि पोर्टल केवल आदेश देने के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध करा रहा है । भण्डार क्रय नियम में उल्लेखित 85 प्रतिशत अग्रिम का भुगतान आप जिस किसी मद (राज्य बजट के संबंध में कोषालय एवं एन.एच.एम. के संबंध में पी.एफ.एम.एस.) से कर रहे है, क्रयादेश जारी करते समय नियमानुसार राशि संबंधित सक्षम अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । तदोपरांत सामान प्राप्ति के उपरांत एम.आर.सी. सत्यापन के बाद नियमानुसार परीक्षण उपरांत भुगतान की आवश्यक कार्यवाही करनी होगी ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

22.10.16

(डॉ. राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक(वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म0प्र0

D:\FINANCIAL YEAR 2016-17\FA LETTER 2016-17.DOCX 167

पृ. कमांक/ /औ.प्रको./2016-17/723 भोपाल,दिनांक 22/10/2016

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ ।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/ उद्योग विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यपदेश ।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम/कार्पोरेशन भोपाल ।
4. प्रबंध संचालक, संत रविदास म0प्र0 हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम / म0प्र0 राज्य हाथकरघा बुनकर सहकारी संघ मर्यादित / म0प्र0 खादी तथा ग्रामोघोग बोर्ड मध्यप्रदेश ।
4. समस्त संचालक, स्थानीय कार्यालय/एन.एच.एम./आई.ई.सी. ब्यूरो भोपाल ।
5. प्रभारी, एम.आई.एस., विभागीय साइट पर अपलोड करें

22.10.16

अतिरिक्त संचालक(वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म0प्र0

D:\FINANCIAL YEAR 2016-17\FA LETTER 2016-17.DOCX 168

Drug Code	Item Name	Rate/Unit
HAR002	Chadar Medical Bleach (Name Print) 54' x 90' Tana X Bana (2/40 s x 20 s) Reed x Pik (52 x 54/')	256.0000/No.
HAR003	Chadar Medical Bleach 60' x 90' Tana X Bana (2/40 s x 20 s) Reed x Pik (52 x 54/')	270.0000/No.
HAR004	Chadar Medical Bleach (Name Print) 60' x 90' Tana X Bana (2/40 s x 20 s) Reed x Pik (52 x 54/')	283.0000/No.
HAR005	Dr Sheet Bleach 45' x 54' Tana X Bana (2/40 s x 20 s) Reed x Pik (52 x 54/')	126.0000/No.
HAR006	Sheeting Cloth Bleach 1 m x 54' Tana X Bana (2/40 s x 20 s) Reed x Pik (52 x 54/')	103.0000/No.
HAR007	Pillow Cover Cloth Bleach 1 m x 40' Tana X Bana (2/40 s x 20 s) Reed x Pik (52 x 54/')	80.0000/No.
HAR008	Chadar Rangeen Check 54' x 90' Tana X Bana (2/40 s x 20 s) Reed x Pik (52 x 54/')	286.0000/No.
HAR009	Chadar Rangeen (Name Print) 54' x 90' Tana X Bana (2/40 s x 20 s) Reed x Pik (52 x 54/')	299.0000/No.
HAR010	Chadar Rangeen 60' x 90' Tana X Bana (2/40 s x 20 s) Reed x Pik (52 x 54/')	317.0000/No.
HAR011	Chadar Rangeen (Name Print) 60' x 90' Tana X Bana (2/40 s x 20 s) Reed x Pik (52 x 54/')	329.0000/No.
HAR012	Table Cloth Rangeen 54' x 48' Tana X Bana (2/40 s x 20 s) Reed x Pik (52 x 54/')	153.0000/No.
HAR013	Table Cloth Rangeen 72' x 48' Tana X Bana (2/40 s x 20 s) Reed x Pik (52 x 54/')	209.0000/No.
HAR014	Cotton Cloth rangeen 1 m x 40' Tana X Bana (2/20 s x 10 s) Reed x Pik (36 x 34/')	103.0000/No.
HAR015	Cotton Cloth rangeen Design 1 m x 40' Tana X Bana (2/20 s x 10 s) Reed x Pik (36 x 34/')	119.0000/No.
HAR016	Honeycomb Table Bleach 54' x 27' Tana X Bana (2/20 s x 10 s) Reed x Pik (40 x 40/')	87.0000/No.
HAR017	Napkin Bleach 27' x 17' Tana X Bana (2/20 s x 10 s) Reed x Pik (40 x 40/')	36.0000/No.
HAR018	Do Suti Bleach 1 m x 50' Tana X Bana (20 s x 14 s) Reed x Pik (32 x 32/')	109.0000/No.
HAR019	Gaadi Pot Patta 1 m x 45' Tana X Bana (2/20 s x 10 s) Reed x Pik (36 x 32/')	99.0000/No.
HAR020	Basta Cloth 36' x 36' Tana X Bana (10 s x 10 s) Reed x Pik (28 x 26/')	43.0000/No.
HAR021	Basta Cloth 44' x 44' Tana X Bana (10 s x 10 s) Reed x Pik (28 x 26/')	60.0000/No.
HAR022	Patient Cloth 1 m x 54' Tana X Bana (2/40 s x 20 s) Reed x Pik (48 x 52/')	114.0000/No.
HAR024	Astar Cloth 1 m x 54' Tana X Bana (2/40 s x 20 s) Reed x Pik (48 x 52/')	110.0000/No.
HAR025	Peticote/Blauge Cloth Shuti Bleach 1 m x 40' Tana X Bana (2/60 s x 2/60 s) Reed x Pik (60 x 60/')	97.0000/No.
HAR026	Peticote Blauge Cloth Shuti Rangeen 1 m x 40' Tana X Bana (2/60 s x 2/60 s) Reed x Pik (60 x 60/')	102.0000/No.
HAR027	Gray Duster Cloth 24 m x 24' Tana X Bana (10 s x 10 s) Reed x Pik (20 x 24/')	23.0000/No.
HAR028	Gray Duster Cloth 28 m x 28' Tana X Bana (10 s x 10 s) Reed x Pik (20 x 24/')	26.0000/No.

Drug Code	Item Name	Rate/Unit
HAR029	Macchardaani Kapda Cotten 1 m x 53' Tana X Bana (2/40 s x 20 s) Reed x Pik (40 x 40/')	84.0000/No.
HAR030	Chadar Check Rangeen 84 m x 48' Tana X Bana (2/40 s x 20 s) Reed x Pik (52 x 54/')	239.0000/No.
HAR031	Chadar Check Rangeen Naam Print 84 m x 48' Tana X Bana (2/40 s x 20 s) Reed x Pik (52 x 54/')	251.0000/No.
HAR032	Blauze Cloth Tericat rangeen 1 m x 40' Tana X Bana (83/34d x40 cott.) Reed x Pik (72 x 72/')	74.0000/No.
HAR033	Tericat Shirting Cloth 1 m x 36' Tana X Bana (2/60s x 60 p.v.) Reed x Pik (68 x 64/')	116.0000/No.
HAR034	Tericat Shuting 1 m x 56' Tana X Bana (2/30p : vX2/ 30 p:v) Reed x Pik (60 x 48/')	168.0000/No.
HAR035	Gauze Cloth Bleach 91cm x 20m' Tana X Bana (26 s x 26 s) Reed x Pik (17 x 14/')	375.0000/No.
HAR036	Banded Cloth Bleach 1 m x 40' Tana X Bana (26 s x 26 s) Reed x Pik (34 x 24/')	666.0000/No.
HAR037	Blazer Cloth Uni 1 m x 20' Tana X Bana (8 N.M. X 8 N.M.) Reed x Pik (28 x 24/')	269.0000/No.
HAR038	Cotten Sharee Safed/Rangeen 46 x 5.50m' Tana X Bana (83/34/300D x 80 Cotton) Reed x Pik (80 x 70-72/')	741.0000/No.
HAR039	Tericat Sharee 46 x 5.50m' Tana X Bana (83/34/300D x 80 Cotton) Reed x Pik (72 x80/')	708.0000/No.
HAR040	Razai Cloth 1 mts x 54' Tana X Bana (2/40s x 20s) Reed x Pik (44 x44/')	85.0000/No.
HAR041	Tericat Esther Cloth 1 mts x 54' Tana X Bana (2/60pv x 155d.) Reed x Pik (68 x64/')	120.0000/No.
HAR042	Tericat Macchardani Gray Cloth 1 mts x 53' Tana X Bana (2/60pv x 30 p.v.) Reed x Pik (48 x46/')	93.0000/No.
HAR043	Roll Bandage 15 cm x 05 m Tana X Bana (26s x 26s) Reed x Pik (34x 24)	347.0000/No.
HAR044	Roll Bandage 10 cm x 05 m Tana X Bana (26s x 26s) Reed x Pik (34x 24)	231.0000/No.
HAR045	Roll Bandage 7.5 cm x 05 m Tana X Bana (26s x 26s) Reed x Pik (34x 24)	173.0000/No.
HAR046	Roll Bandage 05 cm x 05 m Tana X Bana (26s x 26s) Reed x Pik (34x 24)	116.0000/No.
HAR001	Chadar Medical Bleach 54' x 90' Tana X Bana (2/40 s x 20 s) Reed x Pik (52 x 54/')	244.0000/No.

अनुमानित मूल्य, प्रदाय स्थल, कार्य की सूची, कार्य का तिथिवार निर्धारण, कार्य सम्पादन की अंतिम तिथि, सुरक्षा निधि/गारंटी मनी भुगतान की शर्त आदि सहित क्रय हेतु आवश्यक अन्य सभी जानकारियॉं समाहित हों ।

3.8 निविदा (Tender) से अभिप्रेत है निविदा आमंत्रण सूचना के प्रतिउत्तर में सामग्री/सेवायें प्रदान करने हेतु प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत औपचारिक प्रस्ताव ।

3.9 निविदा आमंत्रण प्राधिकारी (Tender Inviting Authority) से अभिप्रेत है निविदा आमंत्रित करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी ।

3.10 निविदा स्वीकारकर्ता प्राधिकारी (Tender Accepting Authority) से अभिप्रेत है निविदा स्वीकार करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी ।

3.11 निविदाकर्ता (Tenderer) से अभिप्रेत है निविदा प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनी ।

3.12 आरक्षित सामग्री (Reserved Items) से अभिप्रेत है समय–समय पर पुनरीक्षण के अध्यधीन नियम 6 अनुसार परिशिष्ट अ एवं ब में उल्लेखित वस्तुएँ ।

3.13 अनारक्षित सामग्री (Unreserved Items) से अभिप्रेत है आरक्षित सामग्री को छोड़कर अन्य सामग्री

3.14 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से अभिप्रेत है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा–7 अंतर्गत परिभाषित उद्यम ।

4. क्रय के मूल सिद्धांत :

लोक हित में क्रय हेतु सक्षम प्राधिकारी की यह जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी कि वह क्रय से संबंधित प्रकरणों में कार्यकुशलता, समयबद्धता, मितव्ययिता, पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के साथ–साथ प्रदेश के सूक्ष्य तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देते हुए समस्त आपूर्तिकर्ताओं के साथ उचित और समान व्यवहार रखे।

5. क्रय के लिए सक्षम प्राधिकारी :

क्रय हेतु स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार राज्य शासन द्वारा किए गए वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार अथवा सामान्य या विशिष्ट आदेश से अधिकृत अधिकारी को रहेंगे। निगमों, मण्डलों तथा अन्य अर्धशासकीय संस्थाओं अंतर्गत ये अधिकार उनके वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन से शासित होंगे।

6. आरक्षित सामग्रियों का कय :

राज्य शासन कतिपय वस्तुओं को किसी विशिष्ट उपार्जनकर्ता अभिकरण के माध्यम से क्रय हेतु आरक्षित कर सकेगा। परिशिष्ट–अ एवं ब में वर्णित वस्तुओं का क्रय इन परिशिष्टों में उल्लेखित उपार्जनकर्ता अभिकरणों के माध्यम से किया जाएगा।

आरक्षित सामग्रियों का प्रदायकर्ताओं के माध्यम से सीधे क्रय :

नियम–6 के अंतर्गत प्रदाय हेतु अधिकृत उपार्जनकर्ता अभिकरणों द्वारा प्रदायकर्ताओं के साथ दर अनुबंध निष्पादित किया जायेगा। निष्पादित समस्त दर अनुबंधों का विवरण उपार्जनकर्ता अभिकरणों द्वारा अपनी–अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाकर उसे अद्यतन रखा जायेगा। क्रयकर्ता उपरोक्तानुसार निर्धारित दरों पर दर अनुबंधित इकाईयों को इस कार्य हेतु निर्मित पोर्टल के माध्यम से प्रदाय आदेश जारी करेंगे। इस कार्य हेतु प्रदायकर्ता द्वारा संबंधित उपार्जनकर्ता अभिकरण को दो प्रतिशत सेवा शुल्क एवं पृथक से निरीक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

8. अनारक्षित सामग्री का क्रय / उपार्जन :

अनारक्षित सामग्री का क्रय नियम 9, 10 एवं 11 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार क्रयकर्ता द्वारा सीधे किया जा सकेगा। उक्त सामग्री की दरें डी.जी.एस. एण्ड डी. और /या म.प्र. लघु उद्योग निगम में उपलब्ध होने की दशा में क्रयकर्ता द्वारा इन संस्थाओं से भी सामग्री क्रय की जा सकेगी। चाहे गये स्पेसिफिकेशन्स उपलब्ध न होने पर भण्डार क्रय नियम के प्रावधान के तहत क्रय किया जा सकेगा।

9. बिना कोटेशन के सामग्री का क्रय :

क्रय के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित फार्मेट में रिकार्ड किये जाने वाले एक प्रमाण पत्र के आधार पर कोटेशन या निविदा आमंत्रित किये बगैर प्रत्येक अवसर पर रूपये 20,000/– (रूपये बीस हजार मात्र) तक के मूल्य के अनारक्षित सामग्री की खरीद की जा सकेगी –

"मैं, ... व्यक्तिगत तौर पर संतुष्ट हूं कि क्रय की गई सामग्री अपेक्षित गुणवत्ता और विनिर्देशनों (स्पेसिफिकेशन) के अनुसार है और इसका क्रय विश्वस्त आपूर्तिकर्ता से उचित कीमत पर किया गया है।"

क्रयकर्ता अधिकारी के द्वारा इस पद्वति का उपयोग एक माह में पांच बार से अधिक अवसरों पर नहीं किया जा सकेगा।

10. विभागीय क्रय समिति द्वारा क्रय :–

प्रत्येक शासकीय कार्यालय के लिए कार्यालय प्रमुख के द्वारा कार्यालय में पदस्थ शासकीय सेवकों की विभागीय क्रय समिति गठित की जाएगी। अर्धशासकीय संस्थाओं में विभागीय क्रय समिति का गठन संस्था के वरिष्ठतम अधिकारी (यथा प्रबंध संचालक, आयुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी) के द्वारा किया जाएगा। विभागीय क्रय समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रत्येक अवसर पर 20,000/– रूपये (बीस हजार रूपये मात्र) से अधिक और 1,00,000/– (एक लाख रूपए मात्र) तक की अनारक्षित सामग्री का क्रय किया जा सकेगा। विभागीय क्रय समिति में उचित स्तर के न्यूनतम तीन सदस्य होंगे जिनमें से यथासंभव एक सदस्य वित्तीय मामलों का जानकार होगा। यह समिति, दर की उपयुक्तता, गुणवत्ता और विनिर्देशन (स्पेसिफिकेशन) सुनिश्चित करने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करेगी और उपयुक्त आपूर्तिकर्ता की पहचान करेगी। क्रय/प्रदायादेश जारी करने की अनुशंसा करने के पूर्व समिति के सदस्य संयुक्त रूप से निम्नानुसार एक प्रमाण पत्र रिकार्ड करेंगे –

"प्रमाणित किया जाता है कि हम .... क्रय समिति के सदस्य संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत तौर पर इस बात से संतुष्ट हैं कि जिस सामग्री के क्रय की अनुशंसा की गई है वह अपेक्षित विनिर्देशनों

परिशिष्ट– 'ब'
(नियम 6 देखें)

उपार्जनकर्ता अभिकरण–

(1) संत रविदास म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम

(2) म.प्र. राज्य हाथकरघा बुनकर सहकारी संघ मर्यादित

(3) म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

क्र.	संत रविदास म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम	म.प्र. राज्य हाथकरघा बुनकर सहकारी संघ मर्यादित	म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
1.	गॉज एवं बैण्डेज	गॉज एवं बैण्डेज	–
2.	चादर / बेड स्प्रेड	चादर / बेड स्प्रेड	चादर / बेड स्प्रेड
3.	–	पर्दे एवं अपहोल्स्ट्री	पर्दे एवं अपहोल्स्ट्री
4.	–	–	सूती, ऊनी दरियां
5.	–	सूती, ऊनी फर्श	सूती, ऊनी फर्श
6.	–	–	कम्बल
7.	–	ऊनी शॉल	ऊनी शॉल
8.	ब्लेजर कपड़ा (ऊनी)	ब्लेजर कपड़ा (ऊनी)	ब्लेजर कपड़ा (ऊनी)
9.	मच्छरदानी / मच्छरदानी का कपड़ा (सूती)	मच्छरदानी / मच्छरदानी का कपड़ा (सूती)	–
10.	डस्टर / बस्ता क्लाथ	डस्टर / बस्ता क्लाथ	डस्टर / बस्ता क्लाथ
11.	टेबल क्लाथ	टेबल क्लाथ	टेबल क्लाथ
12.	टॉवेल / नेपकीन	टॉवेल / नेपकीन	टॉवेल / नेपकीन
13.	पुरूष कर्मचारी की वर्दी– पेंट, शर्ट, टोपी का कपड़ा	पुरूष कर्मचारी की वर्दी– पेंट, शर्ट, टोपी का कपड़ा	पुरूष कर्मचारी की वर्दी– पेंट, शर्ट, टोपी का कपड़ा
14.	महिला कर्मचारियों की वर्दी– साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट एवं सलवार सूट का कपड़ा,	महिला कर्मचारियों की वर्दी– साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट एवं सलवार सूट का कपड़ा,	महिला वर्दी– साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट एवं सलवार सूट का, हाथकरघा का कपड़ा,

क्र.	म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम	म.प्र. राज्य हाथकरघा बुनकर सहकारी संघ म.प्र.	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
15.	समस्त प्रकार के सूती, ऊनी, रेशमी एवं मिश्रित मिल निर्मित धागे से निर्मित वस्त्र	समस्त प्रकार के सूती, ऊनी, रेशमी एवं मिश्रित मिल निर्मित धागे से निर्मित वस्त्र	समस्त प्रकार के सूती, ऊनी, रेशमी एवं मिश्रित हाथ कताई धागे से निर्मित वस्त्र
16.	फैंसी फाईल कव्हर्स / बैग (हाथ के छपे कपड़े से बने)	–	फैंसी फाईल कव्हर्स / बैग (हाथ के छपे कपड़े से बने)
17.	कार्यालय सजावट की वस्तुएं जैसे–आदिवासी लोक कला के चित्र, मूर्तियॉ आदि	–	कार्यालय सजावट की वस्तुएं जैसे–आदिवासी लोक कला के चित्र, मूर्तियॉ आदि
18.	–	–	चमड़ा (कच्चा–पक्का), चमड़े के जूते, चप्पल, बेल्ट, जैकेट, बैग, ब्रीफकेस, पिस्तौल / रिवाल्वर का कवर
19.	–	–	अगरबत्ती, कपड़े धोने का साबून, शहद, तैयार मसाले, सरसों का तेल, अचार, पापड़